न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 21/2025 (GCMS - 2025/125)

रामचन्द्र वर्मा पुत्र कुम्भराम जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील मलसीसर।

–आवेदक

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।
2. धर्मपाल कुम्भराम जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील मलसीसर।
3. बृजमोहन पुत्र कुम्भराम जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील मलसीसर।
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मलसीसर।

–अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 21.05.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम झटावा खुर्द पटवार हल्का झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 113 के ख0न0 106, 107, 206, 207, 208, 209, 210, 50 कुल किता 8 कुल रकबा 14.17 है0 भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी काश्तकारी भूमि है जो कि विरासत में अपने पिता कुम्भाराम से प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र कुम्भाराम दर्ज है जो कि गलत है, प्रार्थी सही एवं दस्तावेजी नाम रामचन्द्र वर्मा पुत्र कुम्भाराम है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2025 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने तहसीलदार बिसाऊ से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया जिस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये जिनके अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

जवाब देही एवं साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झटावा खुर्द पटवार हल्का झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 106, 107, 206, 207, 208, 209, 210, 50 कुल किता 8 कुल रकबा 14.17 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर सही एवं दस्तावेजी नाम रामचन्द्र वर्मा पुत्र कुम्भाराम दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर उक्त निर्णय की पालना करें। पूर्व का बैंक रहन घोषित काश्तकारान् पर नियमानुसार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर